

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:-गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 52/2019 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. रामु पुत्री छोगा भील निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नन्दलाल आत्मज पेमा भील निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लेहरी पुत्री पेमा भील निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल आत्मज श्रवण ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सीताराम आत्मज बालु ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नेनु आत्मज छोगा भील निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. हजारी आत्मज नाथु भील निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. देवा आत्मज दौला भील निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भैरु आत्मज चैना भील निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. प्रेमदेवी पत्नि भैरूलाल लौहार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद -

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय


दिनांक 13.06.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथडियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजियात संख्या 238 रकबा 0.16 हैक्ट. आराजी संख्या 239 रकबा 0.02 हैक्ट. आराजी संख्या 240 रकबा 0.12 हैक्ट. आराजी संख्या 241 रकबा 0.32 हैक्ट. आराजी संख्या 252 रकबा 0.42 हैक्ट. आराजी संख्या 332 रकबा 0.45 हैक्ट. आराजी संख्या 333 रकबा 0.15 हैक्ट. कुल किता 7 कुल रकबा 1.64 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 333 पर स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों ओर सीमाओ के कोई मुस्तकिल निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काशत करने, काशत लाभ प्राप्त करने घास आदि काटने में, दरिमियान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 1 व 7 प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ के पडौसी होन से उन्हे पक्षकार विपक्षीगण बनाये गये हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई बार उक्त आराजी पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहां लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 25.02.2019 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढ़ी कराने से इंकार हो गये जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2019 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि सादर प्रस्तुत है।

जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 3 एवं 5 से 7 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी संख्या 4 के विरुद्ध प्रार्थीगण के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः


आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 238 रकबा 0.16 हैक्ट. आराजी संख्या 239 रकबा 0.02 हैक्ट. आराजी संख्या 240 रकबा 0.12 हैक्ट. आराजी संख्या 241 रकबा 0.32 हैक्ट. आराजी संख्या 252 रकबा 0.42 हैक्ट. आराजी संख्या 332 रकबा 0.45 हैक्ट. आराजी संख्या 333 रकबा 0.15 हैक्ट. कुल किता 7 कुल रकबा 1.64 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 333 पर स्थित हैं। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा दें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण संक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रुपये 100/- अक्षरे एक सौ रुपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 700/- अक्षरे सात सौ रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावे।


गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा